SC/ST Case No.-31/19
C.I.S. No.-31/19

आदेश

18.10.2019 सूचिका की हाजिरी दी गई। वाद पुकारा गया। पुकार पर सूचिका अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित हुई। अंतिम प्रपत्र पर विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं सूचिका के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं केश डायरी का अवलोकन किया। अवलोकन से ज्ञात होता हैं कि केश डायरी में कही भी ऐसा साक्ष्य नही आया हैं जिससे की अभियुक्तों के विरूद्ध संज्ञान लिया जा सके।

अतः अनुसंधानकर्ता द्वारा दाखिल अंतिम प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाता हैं। प्रस्तुत वाद में सूचिका के द्वारा नाराजगी आवेदन दाखिल किया गया हैं। अतः नाराजगी आवेदन को परिवाद पत्र में परिवर्तित किया जाता हैं। कार्यालय को निर्देश दिया जाता हैं कि परिवाद पंजी में दर्ज करने के पश्चात अभिलेख को शपथ पर ब्यान हेतु दिनांक 21.11.2019 को प्रस्तुत करें।

परिवादनी नियत तिथि को शपथ पर ब्यान हेतु सदेह उपस्थित रहें।

लेखापित

विशेष न्यायाधीश,अनूसूचित जाति/जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम
मधेपुरा